

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 161/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/269)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. स्वर्ण सिंह पुत्र भोला सिंह जाति कम्बोसिख निवासी मकान नम्बर 2186 वार्ड नम्बर 33 अग्रसेन नगर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 21.08.2024

उपस्थित: 1.श्री सुखविन्द्र सिंह सरां, श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता वादी  
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 02.01.2025

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 93/93 के मुरब्बा नम्बर 2, 9, 66/36 की कुल 4.263 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी का नाम सरवन सिंह पुत्र भोला सिंह अंकित है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में नाम स्वर्ण सिंह पुत्र भोला सिंह अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके हैं, जिनका दस्तावेजों के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 93/93 में वादी के अंकित नाम सरवन सिंह पुत्र भोला सिंह के स्थान पर स्वर्ण सिंह पुत्र भोला सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 3859 दिनांक 31.12.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 93/93 के मुरब्बा नम्बर 2, 9 की 4.263 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि सरवन सिंह पुत्र भोला सिंह जाति कम्बोसिख के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। साक्ष्यवादी में गवाह स्वर्ण सिंह स्वयं उपस्थित आया। शपथपत्र वादत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल रहे।
- वहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की वहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

तहसील श्रीकरणपुर की जमावंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 93/93 की जमावंदी, वरीयत दिनांक 19/04/1992 की जमावंदी एवं वाद की जमावंदी में मलदाता पदवान पत्र की जमावंदी, डाईविंग लाईसेंस की जमावंदी के अन्तर्गत से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू अ. नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमावंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 93/93 में वादी के अंकित नाम सरवन सिंह पुत्र भोला सिंह के स्थान पर स्वर्ण सिंह पुत्र भोला सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पत्रावली सम्बन्धी दस्तावेज पत्र काई की जमावंदी, मलदाता पदवान पत्र की जमावंदी, डाईविंग लाईसेंस की जमावंदी में नाम स्वर्ण सिंह पुत्र भोला सिंह दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार वक 3 एक्स की जमावंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 93/93 के मुख्या नम्बर 2, 9 की 4263 इकायर् नम्बर कृषि ग्रामे सरवन सिंह पुत्र भोला सिंह जाति कर्माग्रय क नाम दर्ज किया है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पदवान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिमत समझते है।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू अ. नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमावंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 93/93 में वादी के अंकित नाम सरवन सिंह पुत्र भोला सिंह के स्थान पर स्वर्ण सिंह पुत्र भोला सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदन रहेंगे। पर्वी डिक्री इस आशय का जारी है। पर्वी डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है। पत्रावली फंसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील जावता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्रीराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलेक्टर एवं मदन उपायुक्त (सहायक) अधिकारी  
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्रीराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलेक्टर एवं मदन उपायुक्त (सहायक) अधिकारी  
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर



# अंतिम डिक्री बमुकदमे इवतदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाबा दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (राजस्व)

स्वर्ण सिंह वनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आर्टीए, 136 एनआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 161/2024

निर्णय दिनांक :- 03.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई स्वयं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री सुखविन्द्र सिंह सरां, श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 93/93 में वादी के अंकित नाम सरवन सिंह पुत्र भोला सिंह के स्थान पर स्वर्ण सिंह पुत्र भोला सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन वदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 03.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 03.01.2025

क्रमांक: रीडर/2024/12

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर